भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 10**

**जिसका उत्‍तर 30 नवम्‍बर, 2015 को दिया जाना है**

**[kkuksa esa ?kVh nq?kZVuk,a**

**10. Jh vfouk'k ikaMs%**

क्‍या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

¼d½ o"kZ 2010 ls ysdj vc rd [kqyh [kkuksa vkSj Hkwfexr [kkuksa esa ,slh fdruh nq?kZVuk,a gqbZ gSa ftuds ifj.kkeLo:i [kku Jfed t[eh gq, gSa(

¼[k½ buesa ls fdruh nq?kZVukvksa esa Jfedksa dh e`R;q gqbZ gS vFkok os ges'kk ds fy, v'kDr gks x, gSa(

¼x½ t[eh gksus ds izR;sd ekeys esa o"kZ&okj vkSj jkT;&okj fdruk&fdruk eqvkotk fn;k x;k gS( vkSj

¼?k½ ljdkj }kjk dks;yk [kkuksa vkSj fo'ks"k :i ls Hkwfexr [kkuksa esa Jfedksa dh lqj{kk esa lqèkkj djus gsrq D;k&D;k mik; fd, tk jgs gSa\

**उत्‍तर**

**कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख) :** वर्ष 2010 से भारत में विभिन्‍न भूमिगत तथा ओपनकास्‍ट कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्‍या तथा दुर्घटनाओं का स्‍वरूप (घातक/गंभीर) और इन दुर्घटनाओं के कारण मारे गये और घायल हुए व्‍यक्‍तियों की संख्‍या इस प्रकार है :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **घातक दुर्घटनाएं** | **गंभीर दुर्घटनाएं** |
| **दुर्घटनाओं की संख्‍या** | **मारे गए व्‍यक्‍तियों की सं.** | **गंभीर रूप से घायल व्‍यक्‍तियों की सं.** | **दुर्घटनाओं की संख्‍या** | **गंभीर रूप से घायल व्‍यक्‍तियों की सं.** |
| **भूमिगत**  |
| 2010 | 41 | 60 | 18 | 348 | 352 |
| 2011 | 23 | 24 | 7 | 379 | 390 |
| 2012 | 25 | 28 | 4 | 374 | 378 |
| 2013 | 19 | 24 | 4 | 336 | 337 |
| 2014 | 27 | 28 | 2 | 251 | 262 |
| 2015\* | 18 | 18 | 1 | 141 | 145 |
| **ओपनकास्‍ट**  |
| 2010 | 40 | 42 | 5 | 62 | 64 |
| 2011 | 29 | 30 | 3 | 73 | 75 |
| 2012 | 37 | 38 | 2 | 61 | 63 |
| 2013 | 40 | 40 | 3 | 55 | 55 |
| 2014 | 33 | 35 | 1 | 64 | 65 |
| 2015\* | 25 | 26 | 6 | 49 | 50 |

 \*31.10.2015 की स्‍थिति के अनुसार

**(ग)** : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

**(घ) :** विभिन्‍न कोयला खानों में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्‍नलिखित शामिल हैं :-

(i) कोयला मुहानों पर मैनुअल लोडिंग तथा ढुलाई के स्‍थान पर यंत्रीकृत ड्रिलिंग, लदान और ढुलाई।

(ii) खान पर्यावरण में ज्‍वलनशील गैस के किसी संचयन की पूर्व सूचना, सीओ सहित हानिकर गैसों की मौजूदगी, सीओ2 और आक्‍सीजन की कमी के लिए गैस की संभावना वाली खानों में सतत पर्यावरण मॉनीटरिंग प्रणाली।

(iii) ओपनकास्‍ट खानों में निम्‍न क्षमता लदान और परिवहन मशीनों के स्‍थान पर उच्‍च क्षमता वाली मशीनों का उपयोग ताकि खानों में ट्रैफिक और ओपनकास्‍ट प्रचालनों में दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

(iv) सीमूलेटर, थ्रीडी आर्टिफिसियल इंटेलिजेंट ऑडियो –विजूअल जैसे अत्‍याधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग करके प्रचालकों तथा सक्षम व्‍यक्‍तियों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए नई पहलें।

(v) खानों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना।

(vi) सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण के माध्‍यम से तथा सुरक्षा सप्‍ताह एवं सुरक्षा अभियानों आदि जैसी पहलकदमियों द्वारा सुरक्षा के मामलों में कामगारों की सहभागिता और इन्‍हें सुग्राही बनाना।

(vii) खानों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

(viii) जोखिमों को समाप्‍त करने तथा कामगारों की सुरक्षा को सुनिश्‍चित करने के लिए जोखिम आकलन तकनीकें लागू करना।

(ix) खानों में असुरक्षित प्रक्रियाओं का निवारण करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं।

(x) खान कामगारों की जागरूकता (अर्थात “ सुरक्षा मेरा उत्‍तरदायित्‍व है ”) में वृद्धि करने के लिए विशेष सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन।

-------